

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0 नं० - 85/2026

नवान : -

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री देवीलाल पुत्र उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. पप्पूराम पुत्र उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
2. रामचन्द्र पुत्र उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
3. जगदीश पुत्र उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
4. कल्लो उर्फ कलावती पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
5. गुडडी उर्फ कमलादेवी पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
6. चुकी उर्फ विमला पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
7. मीरा पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
8. सन्तरो उर्फ सुमित्रा पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
9. रामस्वरूप माता पारो पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी जोधपुरिया त० व जिला सिरसा।
10. गोगाराम माता पारो पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी जोधपुरिया त० व जिला सिरसा।
11. इन्द्रा माता पारो पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी केहरवाला त० रानिया जिला सिरसा।
12. दया रानी माता पारो पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी खुईया मलकाना त० व जिला सिरसा।
13. सुमित्रा देवी माता पारो पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी खुईया मलकाना त० व जिला सिरसा।
14. भोजाराम माता पारो पुत्री उमाराम जाति कुम्हार निवासी खुईया मलकाना त० व जिला सिरसा।
15. सुमित्रा पत्नी देवीलाल जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।
16. मन्जू पुत्री देवीलाल जाति कुम्हार निवासी मुण्डा त० व जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ उपखण्ड अधिकारी सत्यनारायण के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग वादी एवं श्री करनैल सिंह प्रतिवादीगण की उपस्थित में डिक्ली किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को प्राप्त आराजी निम्नानुसार है - क. वादी प्रदीप कुमार, प्रतिवादीगण सं० 1 पप्पूराम, प्रतिवादी सं० 2 रामचन्द्र, प्रतिवादी सं० 3 जगदीश को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकन० 2 एम.डी. के खाता सं० 155/140 में अंकित कुल 4.984 है० में से प्रतिवादीया सं० 4 कल्लो, प्रतिवादीया सं० 5 गुडडी, प्रतिवादीया सं० 6 चुकी, प्रतिवादीया सं० 7 मीरां प्रतिवादीया सं० 8 सन्तरो व पारो प्रत्येक के 1/10 हिस्सा की आराजी। ख. वादी प्रदीप कुमार व प्रतिवादीया सं० 15 सुमित्रा को ब०हि०ब० को प्राप्त आराजी:- चकन० 2 एम.डी. के खाता सं० 155/140 में अंकित कुल 4.984 है० में से प्रतिवादीया सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को प्रतिवादीया सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के 1/10 हिस्सा की आराजी। व इसी अनुसार चक न० 2 एम.डी. के खाता सं०

155/140 मे से प्रतिवादीया सं० 4 कल्लो, प्रतिवादीया सं० 5 गुडडी, प्रतिवादीया सं० 6 चुकी, प्रतिवादीया सं० 7 मीरां प्रतिवादीया सं० 8 सन्तरो व पारो व देवीलाल का नाम कलमजन किया जाकर कृषि भूमि पर यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार कृषि भूमि में 1955 से पूर्व का आराजी काश्तकार यथावत् रखा जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 13/12/26.....को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई है।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पट्टन मीरां कल्लो
दि.बन्दी

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़